

दिया जाता है, इसका मतलब है कि करीब-करीब फिफ्टी परसेंट कम फर्टिलाइजर दिया जाता है। सर, इसीलिए हमारी डिमांड है कि इसको बढ़ाया जाए, क्योंकि ओडिशा में एग्रीकल्चर सैक्टर में 76 परसेंट लोग इन्वॉल्व्ड हैं। 87 लाख, 46 हजार हैक्टेयर में फसलें होती हैं, उसमें से 18 लाख, 79 हजार हैक्टेयर इरिगेटिड लैंड है। महोदय, इतनी डिमांड करने के बावजूद भी पता नहीं क्यों हमारे यहाँ पर फर्टिलाइजर की शॉर्टेज हो रही है और केंद्र सरकार क्यों नहीं सुन रही है, यह भी मुझे पता नहीं है - मैं इस बात को आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ।

उपसभापति जी, हमारे ओडिशा में एग्रीकल्चर फार्मर्स बहुत अच्छी फसल उगा रहे हैं। इसी के कारण केंद्र सरकार की ओर से जो कृषि कर्मण अवार्ड दिया जाता है, वह ओडिशा सरकार को पाँच बार से ज्यादा बार दिया जा चुका है। इसका मतलब है कि ओडिशा के किसान बहुत ही अच्छी फसल उगा रहे हैं।

सर, मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूँ कि कुछ साल पहले ऐसा माहौल था कि लोगों को खाने के लिए अनाज भी नहीं मिलता था। छोटे-छोटे बच्चों के पेट में अनाज डालने के लिए उनके परिवार में जो पिता होता था या जो बड़ा होता था, वह चोरी करके अपने बच्चों को अनाज लाकर देता था। खेत से अनाज चोरी हो जाएगा, इस डर से बहुत से किसान रात को खेत में जाकर सोते थे, खेत में रात भर जगते थे, लेकिन आज ऐसी स्थिति है कि कोई खेत में सोता नहीं है, कोई खेत में जागता नहीं है, क्योंकि सभी के घर में अनाज है। महोदय, इसका मुख्य कारण है कि ओडिशा की सरकार, ओडिशा के मुख्य मंत्री ने किसानों के लिए जो योजना बनाई है, वह उनको लाभ दे रही है और किसान बहुत सुविधा के साथ अपने परिवार का पालन-पोषण कर पा रहे हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण एक योजना है, जिसका नाम 'कालिया योजना' है। इस योजना के तहत किसानों को 5 हजार रुपये सालाना दिए जाते हैं और 50 हजार रुपये तक बिना इंटरेस्ट से लोन दिया जाता है। इसी के कारण आज ओडिशा में किसान खुशहाल हैं। यह जो फर्टिलाइजर की शॉर्टेज हो रही है, इसका फुलफिलमेंट कैसे किया जाए, इसके लिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ और केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूँ कि ओडिशा के किसानों के लिए फर्टिलाइजर की शॉर्टेज की समस्या को दूर किया जाए।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the Zero Hour mention raised by the hon. Member, Shri Muzibulla Khan: Shrimati Sulata Deo (Odisha), Shri Niranjana Bishi (Odisha), Shri Sujeet Kumar (Odisha), Dr. Amar Patnaik (Odisha), Shri M. Shanmugam (Tamil Nadu), Dr. John Brittas (Kerala) and Dr. Santanu Sen (West Bengal).

Dr. Sumer Singh Solanki -- 'Concern over rising cases of online banking fraud in the country'.

Rising cases of online banking fraud in the country

डा. सुमेर सिंह सोलंकी (मध्य प्रदेश): माननीय उपसभापति जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, नर्मदे हर।

माननीय उपसभापति जी, मैं आपके माध्यम से सरकार एवं सदन का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। मैं सदन के माध्यम से माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ कि आज हर भारतीय ऐप, यूपीआई, इंटरनेट बैंकिंग या अन्य डिजिटल साधनों के माध्यमों से अपने लेन-देन की दैनिक क्रिया को बिना समय गँवाए आसानी से पूरा कर रहा है। महोदय, यह डिजिटल युग का कमाल है।

[उपसभाध्यक्ष (श्री कनकमेदला रवींद्र कुमार) पीठासीन हुए।]

कोरोना महामारी के काल को माननीय प्रधान मंत्री जी के कुशल नेतृत्व ने आपदा को अवसर में बदलकर रख दिया है, जिसका परिणाम अब हम सबके सामने है। दुनिया में सबसे ज्यादा डिजिटल लेन-देन हमारे देश में हो रहा है - यह हम सबके लिए गौरव का विषय है। माननीय उपसभापति जी, जैसे-जैसे तकनीक का विकास हो रहा है, वैसे-वैसे उसके साथ बहुत बड़ी चुनौतियाँ भी आती जा रही हैं। इसी क्रम में डिजिटल युग में डिजिटल लेन-देन के माध्यम से कुछ लोग फ्रॉड, ठगी या धोखाधड़ी कर रहे हैं, जिसकी संख्या दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है, जो हमारे लिए चिंता का विषय भी है। हमारी सरकार इस प्रकार का फ्रॉड करने वाले लोगों के लिए कई प्रकार के कानून लेकर आई है। पिछले कुछ वर्षों में ऑनलाइन के माध्यम से फ्रॉड या ठगी करने वाले मामलों की संख्या में तेजी से इजाफ़ा हुआ है। आरबीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले वित्तीय वर्ष में बैंकिंग क्षेत्र में लगभग 13 हजार, 500 ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले दर्ज हुए हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि सबसे ज्यादा बैंकिंग और धोखाधड़ी के मामले निजी बैंकिंग क्षेत्र में हुए हैं। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार भारत को पिछले सात सालों में हर रोज औसतन करीब 100 करोड़ रुपये का नुकसान सिर्फ बैंक फ्रॉड या स्कैम्स के ज़रिए हुआ है।

माननीय उपसभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार, निजी एवं सरकारी बैंक के अधिकारियों से यह सवाल भी है कि यदि हमारे देश के सभी बैंक खाते आधार से जुड़े हुए हैं और आधार कार्ड पहले से ही तकनीकी रूप से सत्यापित हो चुके हैं, ऐसे में जब किसी भी व्यक्ति के साथ कोई फ्रॉड या ठगी होती है, तो हमारे सिस्टम में ऐसी क्या खामी है कि हम फ्रॉड करने वाले लोगों के खातों को ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं या पकड़ नहीं पा रहे हैं? यदि इस प्रकार की कोई खामी है, तो उसे दुरुस्त किया जाना चाहिए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिए। ऐसे असंख्य केसेज हैं, जो लिखित में नहीं आते हैं। मैं भी दूर-दराज के आदिवासी क्षेत्र से आता हूँ। यह पीड़ा मेरे क्षेत्र के लोगों की भी है। एक कॉल या एक मैसेज में आए लिंक को खोलने मात्र से उस गरीब की मेहनत शून्य हो जाती है। माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से निजी क्षेत्र के बैंक अधिकारियों से विशेष आग्रह है कि वे अपने वित्तीय लेनदेन के सिस्टम को इतना मजबूत बनाएं कि किसी गरीब के लिए यह बैंकिंग धोखाधड़ी...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI KANAKAMEDALA RAVINDRA KUMAR): Dr. Solanki, your time is over.

The following hon. Members associated themselves with the matter raised by the hon. Member, Dr. Sumer Singh Solanki: Shri Santanu Sen (West Bengal), Dr.

Amar Patnaik (Odisha), Dr. Sikander Kumar (Himachal Pradesh), Shri Naresh Bansal (Uttarakhand), Shrimati Ramilaben Becharbhai Bara (Gujarat), Shri Rambhai Harjibhai Mokariya (Gujarat), Shri Maharaja Sanajaoba Leishemba (Manipur), Shrimati S. Phangnon Konyak (Nagaland), Shri Pabitra Margherita (Assam), Shri Sujeet Kumar (Odisha), Shri Sandosh Kumar P (Kerala), Shri Kanakamedala Ravindra Kumar (Andhra Pradesh), Shrimati Sulata Deo (Odisha), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Shri Sanjeev Arora (Punjab) and Shrimati Vandana Chavan (Maharashtra).

Demand to increase in MNREGA wage rate for the State of Punjab

SHRI SANJEEV ARORA (Punjab): Thank you, Mr. Vice-Chairman, Sir, for allowing me to take up this important issue. This is mainly regarding the State of Punjab. I would like to draw the attention of the Government, through you, to a significant issue concerning the wage rate notified under MNREGA for the State of Punjab. The rate finalised for the State of Punjab is Rs.303 per day compared to higher rates in the neighbouring States, especially Haryana where it is Rs.357 per day. The minimum wage which the Government of Punjab has set is Rs.413 per day. My request is that not only in Punjab but also in the whole nation, MNREGA wages should match the minimum wages finalised by the State if it is higher. Otherwise, people would not like to work under MNREGA schemes. Two things have happened, that is, unemployment is there and the schemes are not be implemented. Even the total fund allocation on this account to the State of Punjab is going down as per official data from the previous years. In the light of these disparities, I humbly request the Government, through you, to intervene to re-evaluate the current wage rate under MNREGA for Punjab. It is imperative that the wage rate is increased to bring it at par with either the neighbouring States or the minimum wage, as set by the Government of Punjab. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI KANAKAMEDALA RAVINDRA KUMAR): The following hon. Members associated themselves with the matter raised by the hon. Member, Dr.Sanjeev Arora: Shri Santanu Sen (West Bengal), Dr. Amar Patnaik (Odisha), Shri Sandosh Kumar P (Kerala), Dr. John Brittas (Kerala), Dr. V. Sivadasan (Kerala) and Shrimati Jebi Mather Hisham (Kerala).